रामावतार व अन्य बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य.
(एकलपीठ सिविल विविधि प्रार्थना पत्र संख्या-236 /2006)
अन्तर्गत
(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 615/2003)

28.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों का आद्योपांत अनुशीलन किया गया। चूंकि रिट याचिका निर्णीत हो चुकी है, ऐसी स्थिति में संशोधन का कोई यथोचित आधार प्रतीत नहीं होता।

परिणामत: प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(न्या0 शिव कुमार शर्मा)